



राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ०प्र०

सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ-226001

उ०प्र०रा०वि०प० आदेश सं० 8022-F(1R-1)90H/73 दि० 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त
सोसाइटीज रजि० अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672 दिनांक 08-09-1981

(आल इंडिया फेडरेशन आफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स से सम्बन्ध)

email:-sachivrvpjes@gmail.com

Website:-www.rvpjes.org

पत्राक : 46/ डी०जी०-17

दिनांक: 22.02.2026

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय
उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

विषय:- Facial Attendance ERP पर लिंक होने व नये सैलरी प्रोसेस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- (1) कॉरपोरेशन का पत्राक:-141/RAPDRP-A/IT/UPPCL दिनांक 1.01.2026
(2) पत्राक:-3309/11के०वी०परि० एवं अनु०(साउथ)/मेरठ दिनांक 31.01.2026

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित आदेश के माध्यम से कॉरपोरेशन में कार्यरत अवर अभियंताओं एवं अन्य विद्युत कर्मियों को भी "इन" एवं "आउट" के लिए फेशियल अटेंडेंस एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में विभिन्न डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों द्वारा भी फेशियल अटेंडेंस के संबंध में अग्रतर निर्देश प्रसारित किए गए हैं। निस्संदेह, कॉरपोरेशन द्वारा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, जो प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे गये हैं।

महोदय, आप भली-भांति अवगत हैं कि ऊर्जा क्षेत्र एक आवश्यक सेवा का क्षेत्र है, जहाँ कार्य की आकस्मिकता एवं संवेदनशीलता अत्यधिक होती है। विद्युत आपूर्ति को निरंतर बनाए रखने तथा किसी भी ब्रेकडाउन को त्वरित रूप से अटेंड करने का दायित्व 24x7 रहता है। मेजर ब्रेकडाउन अथवा विद्युत दुर्घटना की स्थिति में जूनियर इंजीनियर एवं अन्य विद्युत कर्मी समय की परवाह किए बिना दिन-रात न्यूनतम समय में स्थल पर पहुँचकर आपूर्ति बहाल करने का कार्य करते हैं।

त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर अतिरिक्त सतर्कता अपेक्षित रहती है। ग्रीष्मकाल में रात्रि 10 बजे तक विद्युत उपकेंद्रों पर उपस्थिति सुनिश्चित करनी होती है। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल एवं देर रात्रि तक उच्चाधिकारियों की ऑनलाइन बैठकें तथा विभिन्न विभागीय पोर्टलों पर कार्य भी संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियंता विभागीय दायित्वों एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के मध्य बड़ी मुश्किल से संतुलन स्थापित करते हुए कार्य करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में, यदि फेशियल अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है, तो यह आवश्यक है कि कार्य की वास्तविक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएँ :-

प्रस्तावित व्यवस्थाएँ :-

- 1) प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के अतिरिक्त कार्य लिए जाने पर संबंधित अवर अभियंता/प्रोन्नत अभियंता को अतिकाल (Overtime) अथवा प्रतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया जाए।
- 2) निर्धारित समयावधि से अधिक माह में अधिकतम तीन दिवस तक कार्य लिए जाने पर एक प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।
- 3) अवकाश दिवसों (रविवार/घोषित अवकाश) में कार्य लिए जाने अथवा कार्यालय खुला रखने के निर्देश की स्थिति में अनिवार्य रूप से प्रतिपूर्ति अवकाश सुनिश्चित किया जाए।
- 4) निर्धारित समयावधि से अधिक कार्य किसी भी माह में सात दिवस से अधिक न लिया जाए।
- 5) समस्त ऑनलाइन कार्य, समीक्षा बैठकें एवं पोर्टल संबंधी गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य ही संपन्न कराई जाएँ।

महोदय, फेशियल अटेंडेंस का ERP से लिंक होना एवं नई वेतन प्रक्रिया का लागू होना प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

SMP

अतः निवेदन है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं को भी समान रूप से लागू करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, जिससे जूनियर इंजीनियर एवं अन्य कार्मिक विभागीय कार्यों का समुचित निर्वहन करते हुए अपने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक दायित्वों का संतुलित निर्वहन कर सकें। आपकी सकारात्मक पहल से विभागीय कार्यकुशलता एवं कर्मचारी संतुष्टि दोनों में वृद्धि होगी।

आदर सहित।



(श्री) बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक : /डी०जी०-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) बापू भवन, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक उपप्रकाशित शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ/कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
5. कट फाइल/कार्यालय फाइल।

(श्री) बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव